HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1989/2026
CNR: RJHC020786042026 | URN: CRLAS / 3499U / 2026

Arvind @ Ghashi S/o Deshraj, Aged About 30 Years, R/o Village Budhwal, Police Station Behror Sadar, Teh. Behror, District Kotputali-Behror, Rajasthan. (At Present Confined In Sub Jail Behror)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Sachin Kumar S/o Shri Rajesh Kumar, R/o Gandala, Tehsil Behror, Police Station Neemrana, District Kotputli Behror (Raj.)

----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1651/2026
CNR: RJHC020654072026 | URN: CRLAS / 2900U / 2026

Ajay Kumar S/o Shri Krishna Kumar, Aged About 20 Years, Resident Of Village Budhwal, Tehsil Behror, District Kotputli-Behror, Rajasthan (Through His Father Krishna Kumar, Aged About 45 Years)

----Appellant

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Sachin Kumar S/o Shri Rajesh Kumar, Resident Of Gandala, Neemrana, Kotputli- Behror, Rajasthan.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sumer Singh Ola Mr. Devesh Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakad, PP Mr. Prakash Chand Yadav for Mr. Narpat Singh Shekhawat

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/09/2026

अपीलार्थी–अभियुक्तगण की ओर से विद्वान न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–01, कोटपूतली), जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा जमानत याचिका संख्या 106/2026 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2026, जिसके माध्यम से अपीलार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया गया है, से व्यथित होकर धारा 14 (2) ए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 265/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 303(2), 119(1), 324(5), 326(एफ), 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(2)(v), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण), 1989 (संशोधन 2015) अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु ये दोनों अपीलें पेश की गई हैं।

दोनों अपीलें एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि प्रकरण में प्रत्यर्थी पक्ष को प्रकरण की सूचना प्रदान की जा चुकी है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त **अरविन्द** का तर्क है कि अपीलार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन सहअभियुक्तगण के नाम अंकित हैं, परंतु उसमें अपीलार्थी–अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो तथ्य अंकित किए गए हैं, उससे किसी व्यक्ति को कोई चोट कारित हुई हो, ऐसा दर्शित नहीं है। उनका तर्क है कि मामले में किसी आहत को किसी प्रकार की कोई चोट कारित नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रकरण में ताला तोड़ने, आग लगाने आदि में अपीलार्थी–अभियुक्त की भूमिका नहीं रही है। उनका तर्क है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं करवाई गई है। प्रकरण में अब अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अपीलार्थी–अभियुक्त दिनांक 09.06.2026

से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण वर्ष 2023 का है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः अपीलार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त **अजय कुमार** का तर्क है कि अपीलार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी–अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, उसमें कहीं भी अंकन नहीं है कि अपीलार्थी को प्रकरण में अभियुक्त क्यों बनाया गया है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी द्वारा मौके की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्रस्तुत की गई है, उसमें भी अपीलार्थी–अभियुक्त दर्शित नहीं हो रहा है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र में धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण), 1989 (संशोधन 2015) अधिनियम का अपराध बनना पाया गया है, परंतु उसमें कहीं भी यह निष्कर्ष नहीं आया है, अपीलार्थी–अभियुक्त को ज्ञात हो कि प्रत्यर्थी/पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है तथा जिस संपत्ति को नुकसान हुआ है, वह अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य की है। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किए हैं:–

1. Dr. Anand Rai Vs. State of Madhya Pradesh and Another
   Criminal Appeal no. 814 of 2026
2. Ravi Kumar Bharatbhai Joshi Vs. State of Gujarat & Anr.
   R/Criminal Appeal (Regular Bail - After Chargesheet) No. 1646 of 2026

अपीलार्थी–अभियुक्त दिनांक 09.06.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः अपीलार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तीन सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर जिन अन्य आठ–दस व्यक्तियों द्वारा यह अपराध किया गया है, अपीलार्थी–अभियुक्तगण उन्हीं में से एक हैं। उनका तर्क है कि पूर्व में अभियुक्तगण से परिवादी/पीड़ित के भाई भूपेन्द्र का झगड़ा हो गया था, इसलिए सबक सिखाने के लिए परिवादी की दुकान में जाकर

अपीलार्थीगण द्वारा यह घटना कारित की गई है। उनका तर्क है कि अभियुक्तगण को ज्ञात था कि पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंध रखता है। गंभीर अपराध है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अपीलें निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी–अभियुक्तगण पर आक्षेप है कि उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर परिवादी की दुकान का ताला तोड़कर सामान को आग लगाई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी–अभियुक्तगण का नाम अंकित नहीं है। प्रकरण में परीक्षित हुए साक्षीगण द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्तगण पर कोई विशिष्ट आक्षेप नहीं लगाए गए हैं। अनुसंधान के दौरान जप्त मौके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के लिप्यांतरण में अपीलार्थी–अभियुक्तगण दिखाई दे रहे हों ऐसा अंकित नहीं है तथा अपीलार्थी–अभियुक्तगण का नाम भी अंकित नहीं है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान पहचान की कार्यवाही नहीं करवाई गई है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अपीलार्थी–अभियुक्तगण **अरविन्द व अजय कुमार** दिनांक 09.06.2026 से अभिरक्षा में हैं। अपीलार्थी–अभियुक्त अजय के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अपीलार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपीलें **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें इस शर्त के साथ कि अपीलार्थी–अभियुक्तगण भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और गवाहों को डरायेंगे–धमकायेंगे नहीं, स्वीकार की जाती हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 01.07.2026 अपास्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी–अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक–एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

54-55/NIMIT GOYAL